	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	कार्तिक 20, सोमवार, *शाके 1946*- नवम्बर 11, *2024* *Kartika 20, Monday, Saka 1946- November 11, 2024*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

श्रम विभाग

अधिसूचना

जयपुर, नवम्बर 07, 2024

संख्या एफ.8(5)(6)न्यू.म.स.म./श्रम/आई आर/2000/पार्ट-00212:- न्यूनतम मजदूरी अधिनियम (1948 का केन्द्रीय अधिनियम 11) की धारा 7 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस विभाग द्वारा न्यूनतम मजदूरी सलाहकार मण्डल का गठन करने सम्बन्धी पूर्व प्रस्तावित अधिसूचना दिनांक 24.02.2020 के अधिक्रमण में राज्य सरकार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के प्रयोजनार्थ न्यूनतम मजदूरी सलाहकार मण्डल का नियमानुसार पुनर्गठन करती है।

स्वतंत्र सदस्य -

1.	प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव श्रम विभाग, जयपुर	-	अध्यक्ष
2.	श्रम आयुक्त, श्रम विभाग, जयपुर	-	सदस्य
3.	शासन सचिव, वित्त विभाग, जयपुर	-	सदस्य
4.	आयुक्त, उद्योग विभाग, जयपुर	-	सदस्य
5.	निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, जयपुर	-	सदस्य

श्रमिक संगठन के प्रतिनिधि -

1. श्री हरिमोहन शर्मा, भारतीय मजदूर संघ (BMS)
2. श्री राजेन्द्र सिंह डाबी, भारतीय मजदूर संघ (BMS)
3. श्री विजय सिंह बाघेला, भारतीय मजदूर संघ (BMS)
4. श्री जगदीश राज श्रीमाली, राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस (INTUC)
5. श्री कुणाल रावत, ऑल इण्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस (AITUC)
6. श्री मुकेश माथुर, हिन्द मजदूर सभा (HMS)
7. श्री रामपाल सैनी, राजस्थान ट्रेड यूनियन केन्द्र (RCITU)
8. श्री भंवर सिंह शेखावत, सेन्टर ऑफ इण्डियन ट्रेड यूनियन (CITU)
9. रितु शर्मा, राजस्थान संयुक्त कर्मचारी एवं मजदूर महासंघ
10. श्री मनोहर सिंह रावत, भारतीय श्री सीमेन्ट कर्मचारी संघ, ब्यावर
11. श्री कालूराम गर्ग, राजस्थान विद्युत ठेका कर्मचारी संघ, जयपुर
12. श्री गोपाल मीणा, एग्रो बायोटेक मजदूर संघ, अजीतगढ
13. श्री विश्राम मालाकार, राजस्थान भवन एवं संनिर्माण श्रमिक संघ, किशनगढ़, अजमेर

नियोजक प्रतिनिधि -

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग, जयपुर।
2. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर (श्रम संबंधी)
3. मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, जयपुर।
4. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।
5. सहायता विभाग, राजस्थान सरकार का एक प्रतिनिधि जो उप शासन सचिव से कम स्तर का अधिकारी ना हो।
6. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
7. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम लि0, जयपुर।
8. श्री नरेन्द्र कुमार गोलेच्छा, राजस्थान टेक्सटाईल हैंड प्रोसेस एसोसिऐशन, पाली।
9. श्री सुधीर कुमार गर्ग, जिला उद्योग व्यापार महासंघ, सीकर।
10. श्रीमती सुनीता शर्मा, लघु उद्योग भारती।
11. श्री उमेश गोयल, मार्बल एसोसिऐशन किशनगढ़।
12. श्री गोविन्द बिरला, व्यापार महासंघ, भवानीमण्डी।
13. श्री मुदित सिंघवी, चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री, बालोतरा।

अतिरिक्त श्रम आयुक्त (आई0आर0) राजस्थान, जयपुर सलाहकार मण्डल के सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से
धर्मपाल सिंह,
अतिरिक्त श्रम आयुक्त (मु0) एवं
पदेन संयुक्त शासन सचिव
राजस्थान जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।